उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन विभाग
संख्याः 162/छप्पन-2008-29/99
लखनऊ : दिनांकः 15 अप्रैल, 2008

कार्यालय-आदेश

कार्यालय ज्ञाप संख्या-383/छप्पन-2003-29/99, दिनांक 9 अप्रैल, 2003 द्वारा वर्ष 2003 में प्रदेश में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार की हवाई पट्टियों पर आउट डोर शूटिंग के प्रयोजन के लिए उपयोग करने की दशा में रूपये 200/-प्रति 'लैडिंग' तथा 'शूटिंग' के लिए रूपये 1,000/-प्रतिदिन की दर निर्धारित की गयी थी। इसके अतिरिक्त हवाई पट्टी पर विघुत एवं जल का उपयोग करने पर उसका भुगतान वास्तविक व्यय के आधार पर अलग से करना भी निर्धारित किया गया था। इसी बीच उड्डयन गतिविधियों के प्रसार के दृष्टिगत शासन द्वारा यह अनुभव किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित राजकीय हवाई पट्टियों का राजकीय प्रयोजन हेतु उपयोग करने के अतिरिक्त प्रदेश में विघमान राजकीय हवाई पट्टियों का उपयोग अवस्थापना सुविधा के रूप में अन्य संस्थाओं के उपयोग के लिए अनुमन्य कर दिये जाने से प्रदेश में उड्डयन गतिविधियों के प्रसार के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण होगा। इस उद्देश्य को समक्ष रख कर फिल्म निर्माण के प्रयोजन के लिए राजकीय हवाई पट्टियों के उपयोग की अनुमन्यता पूर्व निर्धारित प्रक्रियान्तर्गत जारी रखते हुए श्री राज्यपाल महोदय सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नागरिक उड्डयन विभाग के स्वामित्व वाली राजकीय हवाई पट्टियों को निजी संस्थओं के विमानों के उड़ान/अवतरण निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करने पर अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(I) प्रदेश में राजकीय हवाई पट्टियों पर निजी संस्थाओं आदि के विमानों हेतु प्रति लैंडिग रू0 500/- तथा पार्किंग चार्जेज के रूप में लैडिंग के प्रथम 2 घंटे के पश्चात रू0 200/- प्रतिदिन की दर से पार्किंग प्रभार निर्धारित किया गया है । यह प्रभार उन निजी संस्थाओं को नही देना होगा जिन्हें उड़ान प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए उस हवाई पट्टी का उपयोग करने की अनुमति दी गयी है ।

(II) क्रास कन्ट्री फ्लाइट करने पर यदि वह संस्था किसी ऐसी हवाई पट्टी का उपयोग करती है जिस पर — उसका उड़ान प्रशिक्षण संस्थान नहीं है तो उस दशा में लिया जाने वाला प्रभार 50 प्रतिशत की दर से लिया जायेगा अर्थात प्रशिक्षण गतिविधियों के क्रास कन्ट्री फ्लाइंग के निमित्त ऐसी किसी हवाई पट्टी का उपयोग करने, जिस पर संबंधित का उड़ान प्रशिक्षण संस्थान नहीं है, संस्था के लिए संबंधित संस्था को रू0 250/- प्रति लैंडिग तथा रू0 100/- प्रतिदिन की दर से पार्किंग प्रभार देना होगा ।

(III) विशिष्ट/अति विशिष्ट व्यक्तियों की उड़ाने तथा अन्य आकस्मिकता की स्थिति में हवाई पट्टी के उपयोग के लिए दी गयी अनुमति राज्य सरकार द्वारा निरस्त की जा सकती है ।

2- शासनादेश सं0 383/छप्पन-2003-29/99, दिनांक 9 अप्रैल, 2003 में उल्लिखित दरें एवं शर्तें उक्त सीमा तक संशोधित समझी जाय ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्याः ई-7-845/दस-2008, दिनांक 10 अप्रैल,2008 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

(शैलेश कृष्ण)
प्रमुख सचिव

संख्या 162(1)/छप्पन-2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार-प्रथम (लेखा एंव हकदारी), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) सचिव, सूचना उत्तर प्रदेश शासन ।
(4) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(5) महानिदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0 प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या:-259/ना. उ.महानि./एएफ/एफएस/99, दिनांक 18 जून, 2007 के संदर्भ में ।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग -7
(8) गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र स्वरूप)
विशेष सचिव